संख्याः–2371 / xx-1/13–5(15)2013 टी.सी.

प्रेषक,

जे. पी. जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून

गृह अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः– 22 अक्टूबर, 2013

विषयः–वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु अनुपूरक मांग के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, कृपया पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याः डीजी–छः–604 / 2012 दिनांक 23 सितम्बर, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 968 / xx-1/12–5(15) / 2013, दिनांक 22 अप्रैल, 2013 तथा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 668 / XXVII(1) / 2013 दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न अधिष्ठानों में वचनबद्ध / अवचनबद्ध मदों में आवश्यक व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–2014 में प्रथम अनुपूरक मांग के अन्तर्गत आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अधिष्ठान / मदवार **कुल ₹ 11.6717 करोड़(रूपये ग्यारह करोड सड़सठ लाख सत्रह हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183 / XXVII(1) / 2012, दिनांक 28 मार्च, 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि विभागवार पृथक अलोटमेंट आई.डी. संख्या S1310100095 दिनांक 14.10.2013) के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से **ऑनलाईन अवमुक्त** कर दी गयी है। आवश्यक धनराशि आहरण / व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3– अधिष्ठान सम्बन्धी अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी तथा मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

4— पुलिस विभाग के अन्तर्गत अधिष्ठान सम्बन्धी जिन मदों में विशेषकर अवचनबद्ध मदों में किसी मुद्रण(टंकक) त्रुटि के कारण बजट प्राविधान/आवंटन में वृद्धि हुयी हो, उन प्रकरणों के सम्बन्ध में धनराशि व्यय से पूर्व वस्तुस्थिति शासन के संज्ञान में लाते हुये अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5— व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6— शासनादेश संख्याः 968/XX-1/12—5(15)/2013, दिनांक 22 अप्रैल, 2013 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी। नई मॉग के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशियों को अवमुक्त किये जाने हेतु मदवार औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन के विचारार्थ पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।

7— यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या—668/XXVII(1)/2013 दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय,

(जे. पी. जोशी)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैवः—</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़ देहरादून।
2. निदेशक कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर देहरादून।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग—5, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
अनु सचिव